उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 17 माघ, शक संवत् 1945

(06 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न। (देखिये नत्थी 'क')

2-मुख्य मंत्री, राज्य सम्पति विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कई वर्षों से लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को तत्काल स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

3-व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास मिशन उ0प्र0 के तहत रोजगारपरक् प्रशिक्षण के लिये ट्रेनिंग सेंटर के मान्यता देने में गड़बड़ी के सम्बन्ध में श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

4-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-कुंवरपुर, विकास खण्ड-सिधौली, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से साधन सहकारी समिति के भवन का जीर्णोद्धार करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

5-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल, विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज,

जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से 33/11 विद्युत उपकेन्द्र की खराब लाइटें बदलवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

6-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से कृषि महाविद्यालय का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

7-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-खेरवा, ग्राम सभा-रमुवापुर, विकास खण्ड-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से बारातघर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

8-डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-सोनारी, विकास खण्ड-भादर, जनपद-अमेठी के निवासियों की ओर से चैकडैम कम रपटा का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

9-डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्रीमती निर्मला पासवान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (तृतीय दिवस) :-

> ''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'छ')

लखनऊ :
मंगलवार, 17 माघ, शक संवत् 1945
(06 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

6 फरवरी, 2024 **विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2024) का प्रथम मंगलवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	19-1-2024
*2	19-1-2024
*3	19-1-2024
*4	19-1-2024
*5	19-1-2024
*6	19-1-2024
*7	19-1-2024
*8	19-1-2024
*9	19-1-2024
*10	19-1-2024
*11	25-1-2024
*12	25-1-2024
*13	25-1-2024
*14	25-1-2024

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	19-1-2024
2	19-1-2024
3	19-1-2024
4	19-1-2024
5	19-1-2024
6	19-1-2024
7	19-1-2024
8	19-1-2024
9	19-1-2024
10	19-1-2024
11	25-1-2024
12	25-1-2024
13	25-1-2024
14	29-1-2024

नत्थी ‘क’

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव *1-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

1

स्वैच्छिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावास/पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

2

*2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि स्वैच्छिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/ पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों को कितना मानदेय दिया जा रहा है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या प्रदेश के स्वैच्छिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/पुस्तकालय में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

कानपुर नगर की तहसील-सदर में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक वृद्धावस्था पेंशन के स्वीकृत/ लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
3

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कानपुर नगर की तहसील-सदर में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितने वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(ख) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन ऐसे हैं जो तहसील स्तर पर लम्बित हैं तथा कितने आवेदन स्वीकृत हुये हैं ?

(ग) क्या उक्त आवेदनों के सर्किलवार नाम, पतों सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आकांक्षी जनपदों में किसानों के जीवन स्तर बढ़ाये जाने हेतु नीति/योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
4

कृषि मंत्री

*4-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि आकांक्षी जनपदों के किसानों का स्तर बढ़ाने हेतु मुख्य मंत्री की प्राथमिकता है ?

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे जनपदों के किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने हेतु कोई नीति बनाई गई है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या अभी तक अन्य जनपदों के किसानों के लिये अलग से कोई योजना लागू नहीं की गई है ?

(च) इसके प्रमुख कारण क्या हैं ? क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में खेल/गेम्स को बढ़ावा देने के लिये गांव व तहसील स्तर पर खेल का मैदान बनाये जाने व जनपद-सहारनपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
5

खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*5-(क) क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में खेल/गेम्स को बढ़ावा देने के लिए गाँव व तहसील स्तर पर कोई खेल का मैदान व स्टेडियम बनाये जाने की कोई योजना है ?

(ख) जनपद सहारनपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(ग) जनपद सहारनपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कालेज में हुई देरी पर अब तक कितने लोगों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

जनपद मैनपुरी एवं इटावा में विकलांग लोगों को व्हिकल (ट्राई मोटर साईकिल) की संख्या एवं उन्हें प्रदत्त करने के मानकों के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव
6

*6-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी एवं इटावा में कितने विकलांग लोगों को व्हिकल (ट्राई मोटर साईकिल) दी गई है ?

(ख) व्हिकल प्रदान करने के उक्त दोनों जनपदों में क्या मानक रखे गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद-वाराणसी के नगरीय क्षेत्रों में पूर्णतः शराब बन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
7

*7-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के नगरीय क्षेत्र में पूर्णतः शराब बंदी लागू है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या वाराणसी के नगरीय क्षेत्रों में पूर्णतः शराब बंदी कराने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रदेश की फसलों को नये रोगों जैसे फफूंदियों, कीटों और खरपतवार से पैदा होने वाले रोगों से बचाव में प्रयुक्त रसायनों के प्रयोग के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
8

*8-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की फसलों में प्रतिवर्ष नये रोग, फफूंदियाँ, कीटों और खरपतवार से पैदा होने पर कोई शोध सरकार करती है ?

(ख) क्या कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

कृषि मंत्री

कृषि कार्य हेतु प्रदत्त पम्पिंग सेटों पर प्रदत्त छूट/मूल्य निर्धारण/बिक्री के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
9

*9-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कितने हार्स पावर तक के पम्पिंग सेट पर कितनी धनराशि की छूट का प्राविधान किया गया है ?

(ख) किसानों को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले पम्पिंग सेट का कितना मूल्य है ?

(ग) जनपद-सिद्धार्थनगर में दिनांक 01-04-2022 से 01-01-2024 तक कितने पम्पिंग सेटों की बिक्री की गई ?

(घ) उक्त पम्पिंग सेटों पर छूट का प्राविधान कब से किया गया है ?

कृषि मंत्री

प्रदेश में टोल टैक्स की नीति एवं जनपद-सहारनपुर में स्थित टोल प्लाजाओं की दूरी एवं उनके द्वारा प्रदत्त छूटों के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
10

औद्योगिक विकास मंत्री

*10-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में टोल टैक्स की नीति क्या है ?

(ख) टोल प्लाजा से कितने दूरी तक के गांवों का टोल मुक्त किया जाता है ?

(ग) जनपद-सहारनपुर में कुल कितने टोल प्लाजा हैं और उनके बीच की दूरी कितने किमी0 है ?

(घ) देवबन्द टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कितना निर्धारित है और कितना लिया जा रहा है ?

वर्ष 2023 में प्रदेश के आबकारी विभाग में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
11

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*11-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक सी0ए0जी0 की वर्ष 2023 में पेश रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आबकारी विभाग में कुल कितने रुपयों की अनियमिततायें पायी गयीं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितने दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एम0एड0 की प्रदत्त छात्रवृत्ति के सापेक्ष कम छात्रवृत्ति खातों में भेजने वाले महाविद्यालय से अवशेष छात्रवृत्ति प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर
12

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*12-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एम0एड0 की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि रु0 50,000 दी जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रामा महाविद्यालय चिनहट में एम0एड0 प्रथम वर्ष के छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा मात्र रू0 8,654 (रुपये आठ हजार छः सौ चौवन) की ही छात्रवृत्ति उनके खातों में भेजी गई ?

(ग) क्या छात्रों को अवशेष धनराशि उपलब्ध करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं जनपद-उन्नाव में उक्त लाभार्थियों को प्राप्त सुविधा के विवरण के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 13	*13-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बतायेंगे कि दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ? (ख) उक्त सुविधाओं का लाभ जनपद उन्नाव में प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण क्या है ?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री भीमराव अम्बेडकर 14	*14-[अन्तरित]	

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-गजराज खेड़ा, पो0-सन्दाना, विकास खण्ड-हिलौली, तहसील-पुरवा, जनपद उन्नाव में वृद्धावस्था पेंशन आवेदन संख्या-313111819831 व 313111819731 की माह मार्च वर्ष 2023 से पेंशन नहीं दी गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? (ग) उक्त आवेदनकर्ताओं के खातों में पेंशन प्रेषित कराते हुये सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली में ग्राम-गजराज खेड़ा से छात्रपाल खेड़ा तक लगभग 1.200 कि0मी0 सड़क मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई थी ? (ख) उक्त सड़क अब अत्यन्त जर्जर हालत में है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क का डामरीकरण/लेपन कार्य करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-रायबरेली के ग्राम-भीरा, पो0-मझगावां हरदोई, तहसील-महराजगंज में रजिस्ट्रेशन संख्या-313312299231 व 313312299971 ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किये हैं ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

	(ख) क्या उक्त व्यक्तियों की पेंशन खातों में भेज दी गई है ? (ग) यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य 4	4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के सीतापुर मार्ग पुरनिया रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित एल0के0एस0 सचिवालय कालोनी अलीगंज के मकान अनुरक्षण के अभाव में अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सचिवालय कालोनी में सीलन, प्लास्टर गिरने एवं जल रिसाव होने एवं घरों में बरसात के समय दूषित जल भराव हो जाने के कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? (ग) क्या दोषी उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए समस्त अनुरक्षण के कार्यों को पूर्ण करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 5	5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री परिषद् के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, स0वि0प0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के खण्ड ख के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि रजिस्ट्रेशन संख्या-313112762531 व अन्य को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है ? (ख) क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो उक्त में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 6	6-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बतायेंगे कि जिला-जौनपुर में कब से कितने दिव्यांगों को पेंशन स्वीकृत हुई थी ? (ख) उनके खाते में कब से और किस कारण दिव्यांग पेंशन नहीं आई है ? (ग) उक्त दिव्यांगों को अवशेष पेंशन सहित नियमित दिव्यांग पेंशन कब तक जारी करायेंगे ?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री आशुतोष सिन्हा 7	7-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ, तहसील सदर, मोहल्ला-ऐशबाग में रजिस्ट्रेशन संख्या-313220948761, 31322081237, 313220957111 ने वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) क्या उक्त व्यक्तियों की पेंशन खातों में भेज दी गई है ? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी जायेगी ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-परेन्दा, ब्लाक-मियागंज, तहसील-हसनगंज, जनपद-उन्नाव में वृद्धावस्था पेंशन आवेदन संख्या-31311031200, 313112475081, 31311097757 व 31311097795 के साथ ही उक्त ग्राम में कितने लाभार्थियों की पेंशन माह मार्च वर्ष 2023 से नहीं दी गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या लम्बित पेंशन को आवेदनकर्ताओं के खाते में भेजते हुए सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, तहसील सदर के उन्नाव शहर में वृद्धावस्था पेंशन आवेदन संख्या-313122619461 तथा शुक्लागंज नगर मे 313122580131 व 313122580161 के साथ ही दिनांक 01 मई, 2023 से अब तक कितने आवदेन प्राप्त हुये हैं ? (ख) क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खातों में भेज दी गयी है ? (ग) क्या उक्त के नाम/पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 10	10-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि बीधनपुर (कोडा), तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर ट्रांजेक्शन आई0डी0-2149160128004902, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक कितने व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री	कृषि मंत्री

	किसान सम्मान निधि दिये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया है और कितने व्यक्तियों को वर्तमान में उक्त राशि का लाभ प्राप्त हो रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 11	11-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि सुखऊपुरवा, तहसील सदर, जनपद-कानपुर नगर में वृद्धावस्था पेंशन आवेदन संख्या-313722318661 व 313722303891 के साथ ही दिनांक 01 सितम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? (ख) क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खातों में भेज दी गयी है ? (ग) क्या उक्त का नाम/पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा में व्यावसायिक शिक्षण संस्थान के अभाव में युवा वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 13	13-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 14	14-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, ब्लाक-बिछिया के ग्राम रायपुर बुजुर्ग में सन्तोष कुमार, मनीष कुमार, अनीष कुमार तथा ग्राम-हड़हा के रत्नेश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु आवेदन किये गये थे ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में किसान सम्मान निधि भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण नाम सहित सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	कृषि मंत्री

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-सिधौली, ग्राम-कुंवरपुर, साधन सहकारी समिति के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-कुंवरपुर, विकास खण्ड-सिधौली, जनपद-सीतापुर के मूल निवासी हैं। आपको अवगत कराना है कि हमारे ग्राम में साधन सहकारी समिति का भवन अत्यन्त जर्जर स्थिति में है। सहकारी समिति का भवन जर्जर होने के कारण ग्रामवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त कार्य हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम सभी ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-कुंवरपुर, साधन सहकारी समिति के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भिलवल में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लाइटें बदलवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत-भिलवल, जनपद-बाराबंकी के मूल निवासी हैं। ग्राम पंचायत-भिलवल में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लाइट अधिकांश खराब रहती है, जिससे वहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त उपकेन्द्र पर तैनात स्टाफ को अंधेरे में काम करना पड़ता है। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लाइटों को बदलवाने हेतु स्थानीय प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-भिलवल में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की लाइटें बदलवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-बिसवां में कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे विकास खण्ड-बिसवां में कृषि महाविद्यालय न होने के कारण कृषि संकाय से 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय न होने से 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों को मजबूरन अपनी संकाय के प्रति रुचि कम होने जा रही है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि विकास खण्ड-बिसवां में कृषि महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-मछरेहटा की ग्राम सभा रमुवापुर के ग्राम खेरवा में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे हम सब ग्रामवासी ग्राम सभा-रमुवापुर, विकास खण्ड-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर के निवासी हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में सामुदायिक उपयोग हेतु कोई विवाह घर नहीं है। जिससे स्थानीय निवासियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य हेतु जनपद स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-रमुवापुर में बारात घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-अमेठी के ग्राम सभा-सोनारी, विकास खण्ड-भादर में जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर उत्थान तथा ग्रामीणों के आवागमन हेतु चेकडैम कम रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्राम सभा-सोनारी, विकास खण्ड-भादर, जनपद-अमेठी के निवासी हैं। हमारे उपरोक्त ग्राम सभा-सोनारी में चेकडैम कम रपटा न होने के कारण हम ग्रामवासियों को आवागमन में काफी

असुविधा का सामना करना पड़ता है। चेकडैम कम रपटा का जनहित में निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। जिला स्तर (लघु सिंचई प्रखण्ड) पर इस कार्य के लिये धन भी उपलब्ध है। उक्त के सम्बन्ध में विधायक द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी प्रति साथ में संलग्न है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम सभा-सोनारी, विकास खण्ड-भादर में जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर उत्थान तथा ग्रामीणों के आवागमन हेतु चेकडैम कम रपटा का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	श्री लाल बिहारी यादव, नेता समाजवादी पार्टी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-1993 से 2000 तक तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में, 3-माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों को सरकार द्वारा मानदेय देने के सम्बन्ध में, 4-मान्यता के नयी शर्तों के लागू होने की तिथि के पूर्व मान्यता के आवेदन को पुरानी मान्यता शर्तों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 5-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी व लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में, 8-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 9-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में, 10-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में, 11-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में, 12-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में, 13-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में, 14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 15-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 16-किसानों को खाद, बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		17-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, 18-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, 19-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 20-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 21-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में, 22-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में, 23-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में, तथा 24-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने एवं सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।"
2	सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम, मुकुल यादव, राजेन्द्र चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मान सिंह यादव, जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा व श्री शाहनवाज खान।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 4-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में, 8-सरकार द्वारा नये धान, गेहूं खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में, 9-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या | प्रस्तावक का नाम | संशोधन का प्रस्ताव

10-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-चीनी मिलें समय से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

15-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-श्रमिकों के परिवारों को मुफ्त दवा तथा मुफ्त शिक्षा का प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

18-दिव्यागों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में जातिवार जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढामुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

24-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री घारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

26-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखा कर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

30-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

31-बिजली लगने (करन्ट से) हुयी मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम दस लाख रुपये दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

32–प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध मे,

33–भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

34–प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

35–आवारा पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

36–दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बकाया पैसे का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

37–किसानों को सिचांई हेतु मुफ्त बिजली उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में,

38–पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

39–अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

40–गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलालों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

41–राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

42–राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

43–प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिचांई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

44–समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

45–स्थानान्तरण उद्योग के सम्बन्ध में,

46–पिछली सरकार द्वारा विभिन्न नदियों पर स्वीकृत पुलों तथा विभिन्न मार्गों पर स्वीकृत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में,

47–प्रदेश में धान एवं गेहूं खरीद में हो रही अनियमिताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

48–प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

49–फलों व सब्जी एवं दुधारू पशुओं के आक्सीटोसिन इंजेक्शन व इसके फार्मूले से तैयार किसी भी प्रकार के इंजेक्शन पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		50–प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त-दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		51–प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नही कहा गया है,
		52–बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		53–प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,
		54–सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		55–व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		56–पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		57–प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,
		58–किन्नर समाज कल्याण के बारे में,
		59–क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में,
		60–एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,
		61–मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		62–किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में,
		63–भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,
		64–पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, तथा
		65–बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।"
3	श्री भीमराव अम्बेडकर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-
		1–उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		2–उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

3-प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-लोकतान्त्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमें दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में एन्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

11-बढ़ते बालात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

13-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्यचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

15-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

16-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

17-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

18-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में,

19-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

20-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

21-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में भंयकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में नौजवानों के खेल-कूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

24-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

25-पशुधन विकास हेतु किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

29-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

31-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में,

33-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

34-किसानों को खाद्य एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र वृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

37-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

38-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा ली जा रही टैक्स को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

39-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के सभी राजमार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश में नकली दवाइयों की रोक-थाम के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश में शराब को पूरी तरह प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		44-प्रदेश के श्रमिकों की मजदूरी की दर बढ़ाये जाने के लिए मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में, 45-मजदूरों व छोटे कारोबारियों द्वारा लिये गये सम्पूर्ण कर्जे को माफ करने के सम्बन्ध में, 46-प्रदेश में सरकारी डाक बंगलों की देख-रेख कर उन्हें व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में, 47-प्रदेश के मुख्य शहरों व चौराहों पर भिक्षाटन करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवकोपार्जन देने के सम्बन्ध में, 48-रायबरेली के अनुसूचित जाति छात्रावास का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में, 49-प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 50-प्रदेश में सफाई कर्मियों की गटर साफ करने के दौरान हो रही मौतों को रोकने व उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, 51-कृषि महाविद्यालय हरदोई में शिक्षा सत्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, 52-लखीमपुर खीरी में भूमिहीन लोगों को दिये गये भूमि के पट्टों को संक्रमणीय भूमिघर के रूप में दर्ज कराने के सम्बन्ध में, 53-भर्थना, जनपद-इटावा में बाईपास रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 54-पंचनद इटावा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, 55-महेवा, जनपद-इटावा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में, 56-इकदिल, जनपद-इटावा में नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, 57-अग्नि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 58-औरैया, दिबियापुर में औधोगिक कारीडोर को विकसित करने के सम्बन्ध में, 59-औरैया में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 60-प्रदेश में भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्को में किये अवैध सरकारी व गैर सरकारी कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।''
4	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :- 1-कि प्रदेश के सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर तक गुणवत्ता एवं समान शिक्षा देने हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने तथा पड़ोसी विद्यालय प्रणाली को लागू कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

2-कि मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को पूर्ण सरकारी की भाँति मानदेय बैंक के माध्यम से देने तथा उनके सेवा के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में,

3-पूर्व स्नातक वेतनक्रम से प्रशिक्षित वेतनक्रम में सम्विलयित प्रदेश के राजकीय एवं गैर राजकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा का लाभ देने के सम्बन्ध में,

4-कि अप्रैल, 2005 से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

5-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित वेतन क्रम में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को ग्रेड-1 वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अराजकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन करने के सम्बन्ध में,

7-कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रणाली को समाप्त कर राज्य पोषित शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

8-कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित विद्यालयों की नई संशोधित मान्यता की धारा 7-4 को समाप्त कर पूर्व धारा 7-4 के अन्तर्गत प्रदान की जाय,

9-कि प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

10-कि प्रदेश के अति निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में,

11-कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षक पदों पर पदोन्नत करने के सम्बन्ध में,

12-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अरबी व मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रतिमाह वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-कि अनुदानित माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में स्थानांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में,

14-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समस्त अवशेष भुगतान करने, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में वर्षों से लम्बित अवशेषों के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया को सरल करने के सम्बन्ध में,

15-कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्रवक्ताओं को विनियमित करने के सम्बन्ध में,

16-कि प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

17-प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त विषय/विभाग में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में,

18-कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 18 वर्ष आयु के बालक/बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं अर्थ निरपेक्ष व्यवस्था प्रदान किये जान हेतु 05 किमी0 पर हाई स्कूल एवं 07 किमी0 पर इण्टरमीडिएट सहायता प्राप्त विद्यालयों के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने तथा 1:40 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

19-कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय शारीरिक शिक्षा के साथ ही कम्प्यूटर तथा व्यवसायिक शिक्षकों के पद सृजित करने तथा उन पर नियुक्ति करने एवं पूर्व से योजना के अन्तर्गत शिक्षण कर रहे शिक्षकों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

20-कि जनवरी, 2006 के पूर्व अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पेंशन निर्धारण, न्यूनतम पेंशन को राजकीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों के समान देने के सम्बन्ध में,

21-कि प्रदेश के अति पिछड़े विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में,

22-कि प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति पूरी सेवा में अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में,

23-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, पुस्तकालय आदि को संसाधनयुक्त बनाने की नीति के सम्बन्ध में,

24-कि राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों एवं अनुदानित महाविद्यालयों में निदेशालय से मानदेय प्राप्त कर रहे शिक्षकों के स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में,

25-कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

26-कि प्रदेश की अक्टूबर, 1984 से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजन कर अनुदान में लेने के सम्बन्ध में,

27-कि प्रदेश के असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान पर लेने के सम्बन्ध में।"

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।